


## CHAPTER 4 - समस्या समाधान


### Pre-Registration Exclusions - General Observation



प्री-रजिस्ट्रेशन के मुद्दे - पेंशन सैंक्शन होने से पहले वंचित होने पर

मुद्दा	समाधान/हल
आवेदन देने की प्रक्रिया नहीं जानते / कौन-कौन योग्य हैं / क्या दस्तावेज की ज़रूरत है	<p>उनको निचे दिए गये बिन्दुओं के बारे में जानकारी दें -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदन देने की प्रक्रिया,</li> <li>2. <a href="#">पेंशन की योग्यता</a></li> <li>3. <a href="#">किन दस्तावेज की ज़रूरत है</a></li> </ol>

मुद्दा	समाधान/हल
विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं होने पर	<p>पहला कदम - दिव्यांग व्यक्ति को इसके लिए ज़िला अस्पताल जाना होगा जहाँ मेडिकल ऑफिसर परिक्षण करके विकलांगता का प्रतिशत तय करेंगे और इसके आधार पर विकलांगता प्रमाण पत्र बनेगा</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- विकलांग व्यक्ति जो अकेले रहते हैं और उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं है, वे पंचायत कर्मी से उनके साथ जिला अस्पताल जाने का अनुरोध कर सकते हैं।</li> <li>- कभी कभी ग्राम स्तर में विकलांगता परीक्षण के लिए कैंप भी लगाये जाते हैं और लोगों को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।</li> <li>- लातेहार में मंगलवार और शनिवार में मेडिकल ऑफिसर उपस्थित होते हैं।</li> </ul> <p>दूसरा कदम - यदि विकलांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो तो इस प्रमाण पत्र के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज और आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्र में ब्लाक ऑफिस (प्रखंड पदाधिकारी) और शहरी क्षेत्र में ऑंचल पदाधिकारी को जमा करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- यदि ब्लाक ऑफिस जाना संभव नहीं हो पता है तो पंचायत कर्मी जैसे पंचायत सेवक, आंगनवाड़ी दीदी या ग्राम मुखिया को भी दे सकते हैं जो आगे ब्लाक में आगे दे देंगे।</li> </ul> <p>यदि अन्य आवश्यक दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता का विवरण, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, वोटर id) उपलब्ध न हो तो निचे दिए गये दस्तावेज भी आवेदन में दिया जा सकता है</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- डाक विभाग द्वारा जारी किया पोस्ट ऑफिस ID कार्ड</li> <li>- जाती एवं निवास प्रमाण पत्र</li> <li>- फोटो और पता संयुक्त KISAN पासबुक या विधायक/ संसाद/ गुप-A गज़ेतेद ऑफिसर द्वारा जारी किया गया पहचान और पता का प्रमाण</li> <li>- पंचायत के मुखिया द्वारा जारी फोटो आईडी प्रमाण पत्र</li> <li>- फोटो सहित राशन कार्ड भी दिया जा सकता है।</li> </ul>



मुद्दा	समाधान/हल
UDID नहीं होने पर -	<p>क्या UDID पेंशन का आवेदन देने के लिए ज़रूरी है ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- नहीं, अगर विकलांगता प्रमाण पत्र है तो UDID कार्ड पेंशन का आवेदन देने के लिए ज़रूरी नहीं है। हालाँकि दिनांक 1.04.2023 से अन्य सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए से UDID का होना अनिवार्य है।</li> <li>- विकलांगता की गंभीरता के आधार पर तीन रंग के UDID कार्ड है - <ul style="list-style-type: none"> <li>- सफ़ेद कार्ड: 40% से कम विकलांगता पर</li> <li>- पीला कार्ड: 40% से 80% के बीच में विकलांगता होने पर</li> <li>- नीला कार्ड: 80% से ऊपर विकलांगता होने पर</li> </ul> </li> </ul> <p><b>UDID कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया -</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UDID पोर्टल में जाएँ <a href="https://www.swavlambancard.gov.in/">https://www.swavlambancard.gov.in/</a></li> <li>2. 'Apply for Disability Certificate and UDID card' में जाएँ।</li> <li>3. दिए गये फॉर्म को भरें। <u>ज़रूरी दस्तावेज</u>: आधार नंबर, पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण, विकलांगता प्रमाण पत्र (अगर उपलब्ध हो), फोटो, मोबाइल नंबर के डालकर 'submit' करें।</li> <li>4. यदि व्यक्ति के पास विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं है: आवेदन को विकलांग व्यक्ति के निवासी जिले के अधिसूचित चीफ मेडिकल ऑफिसर (सी.एम.ओ) या ज़िला स्तर के मेडिकल ऑफिसर (डी.एम.ओ) को भेजा जाता है। आवेदन के सत्यापन के बाद, सी.एम.ओ/डी.एम.ओ सत्यापित के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्त करते हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर एक निश्चित तिथि पर दिव्यांगजन का मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को सौंपता है। मेडिकल बोर्ड दिव्यांगता के प्रतिशत और प्रकार, दिव्यांगता प्रमाणपत्र की वैधता और दिव्यांगजन के ऐसे अन्य मुद्दों पर निर्णय लेता है। मेडिकल बोर्ड अपने निर्णय की सूचना संबंधित सीएमओ/डीएमओ को देता है। सीएमओ/डीएमओ द्वारा भरे गए मूल्यांकन विवरण के आधार पर, एक UDID कार्ड तैयार किया जाता है। UDID कार्ड की डिलीवरी के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही संबंधित मेडिकल ऑफिसर द्वारा UDID कार्ड तैयार किया जाता है, फिर प्लास्टिक UDID कार्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाता है।</li> </ol>
जाति प्रमाण पत्र नहीं होने पर (आदिम जनजाति और पुरुष 50+ वृद्धा पेंशन के लिए)	<p>पहला कदम: अपना समूह को पहचानें -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>अनुसूचित जनजाति समूह के लिए/ आदिम जनजाति के लिए -</u> झारखंड राज्य की केंद्रीय सूची/सूची में विशिष्ट एससी/एसटी समूह की क्रम संख्या और संकल्प संख्या प्राप्त करें। अनुसूचित जनजातियों की अधुनातन सूची (राज्य और केंद्र क्षेत्र भर में) किसी भी समय जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। <a href="#">PDF Latest List of Scheduled Tribes.pdf</a></li> <li>- <u>अनुसूचित जाति समूह के लिए -</u> अनुसूचित जातियों की अधुनातन सूची सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर अनुसूचित जाति कल्याण पर जाकर और फिर अनुसूचित जातियों की</li> </ul>

मुद्दा	समाधान/हल
	<p>सूची पर क्लिक करके पाई जा सकती है।  <a href="#">[List of Scheduled Castes   Department of Social Justice and Empowerment - Government of India]</a></p> <p>- OBC समूह के लिए  क्रम संख्या और संकल्प संख्या के साथ ओबीसी की राज्यवार सूची राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। <a href="#">Central List of OBCs</a></p> <p>दूसरा कदम: आवेदन की प्रक्रिया</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- आवश्यक दस्तावेज़: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पहचान प्रमाण - आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, डाक विभाग द्वारा जारी कोई भी फोटो आईडी, ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा जारी फोटो आईडी प्रमाण पत्र, डाकघर या किसी अनुसूचित बैंक की वर्तमान पासबुक, स्वतंत्रता सेनानी फोटो आईडी कार्ड, फोटोयुक्त किसान पासबुक, फोटोयुक्त राशन कार्ड (आधार अनिवार्य नहीं है);</li> <li>2. पते का प्रमाण - डाक विभाग द्वारा जारी कोई भी आईडी जिस पर पता लिखा हो, निवास प्रमाण पत्र, किसी डाकघर या अनुसूचित बैंक की पासबुक जिसमें पता लिखा हो, किसान पासबुक जिसमें पते का उल्लेख हो, राशन कार्ड, सांसद द्वारा जारी फोटोयुक्त पते का प्रमाण पत्र। / विधायक / समूह ए राजपत्रित अधिकारी / ग्राम पंचायत मुखिया (5+ वर्ष के निवास प्रमाण सहित), जाति का प्रमाण (व्यक्ति की जाति की पृष्ठ करने वाले मुखिया का अनुशंसा पत्र / भूमि से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें जाति का उल्लेख किया गया है / की रिपोर्ट) आवेदक की जाति से संबंधित पटवारी/तहसीलदार, खतियान की फोटोकॉपी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जैसा कुछ)</li> <li>3. आय प्रमाण पत्र</li> <li>4. आवेदक का फोटो</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- आवेदन के लिए फॉर्म भरें: जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट - <a href="#">1, 2, 3</a></li> <li>- भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंचायत मुखिया/प्रखंड स्तर पर जमा करें।</li> <li>- आवेदन का सत्यापन ब्लाक स्तर पर अंचल पदाधिकारी और जिला स्तर डीसी द्वारा किया जाता है।</li> </ul> </li> </ul>
<p>अपना सही आयु का प्रमाण देने के लिए दस्तावेज नहीं हैं</p>	<p>यह किन के लिए जरूरी है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के महिला के लिए</li> <li>2. 50 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के ST/SC पुरुष के लिए</li> <li>3. 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अन्य पुरुषों के लिए</li> </ol> <p>इन दस्तावेजों का उपयोग आयु प्रमाण के रूप में किया जा सकता है - जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट या किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड।</p> <p>यदि कोई भी दस्तावेज न हो - आधार या वोटर ID बनवा लें</p> <p>यदि आधार कार्ड या वोटर ID में से एक में उम्र गलत हो ?  यदि आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र में से एक में उम्र गलत है, तो सही उम्र सत्यापित करने के लिए गलत उम्र वाले दस्तावेज में सुधार करने के लिए अन्य दस्तावेज का उपयोग किया जा</p>

मुद्दा	समाधान/हल
	सकता है।
वोटर कार्ड नहीं होने पर	<p>18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक वोटर आईडी बनवाने के लिए पात्र हैं। आवश्यक दस्तावेज़: आयु प्रमाण, पता प्रमाण, फोटो।</p> <p>वोटर आईडी बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाएं। <a href="https://voters.eci.gov.in/">https://voters.eci.gov.in/</a></li> <li>2. सभी आवश्यक क्रेडेंशियल्स के साथ नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें।</li> <li>3. नए निर्वाचक या मतदाता के रूप में पंजीकरण करें।</li> <li>4. फॉर्म 6 - नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र पर क्लिक करें।</li> <li>5. फॉर्म भरें और सबमिट करें।</li> </ol> <p>इसके बाद, कोई आपत्ति नहीं उठाए जाने पर 7 दिनों की अवधि के बाद उन व्यक्ति का नाम चुनावी सूची में शामिल किया जाता है।</p> <p>ऑफलाइन प्रक्रिया:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निकटतम प्रजा केंद्र से आवेदन पत्र प्राप्त करें।</li> <li>2. फॉर्म 6 भरें और सबमिट करें।</li> <li>3. जमा करने के बाद, बूथ स्तर का अधिकारी पते का सत्यापन करने के लिए आपके निवास पर आ सकता है।</li> </ol> <p>इसके बाद, कोई आपत्ति नहीं उठाए जाने पर 7 दिनों की अवधि के बाद किसी व्यक्ति का नाम चुनावी सूची में शामिल किया जाता है।</p>
मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने पर	<p>यह किन के लिए जरूरी है? उन महिला के लिए जिनके पति की मृत्यु हो गयी है अतः विधवा पेंशन का आवेदन देने के लिए</p> <p>मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़: आवासीय प्रमाण, रिश्ते का प्रमाण, मृत्यु का सही स्थान, तारीख और समय बताने वाला एक एफिडेविट।</p> <p>पति की मृत्यु को कितने दिन बीत चुके हैं उसके आधार पर आवेदन करने की प्रक्रिया:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-25 दिन: मृत्यु प्रमाण पत्र सीधे पंचायत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।</li> <li>- 26 दिन - 1 वर्ष: मृत्यु प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।</li> <li>- 1 वर्ष के बाद: प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन पत्र लिखना होगा। आवेदन पर पंचायत मुखिया का हस्ताक्षर कर प्रखंड को भेजा जायेगा। बी.डी.ओ इस पर हस्ताक्षर कर जिला को भेजेंगे। जिला से अनुमोदन के बाद आवेदन को एस.डी.ओ के पास भेज दिया जाता है। एस.डी.ओ ब्लॉक को एक आदेश जारी करता है और फिर ब्लॉक स्तर पर प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है।</li> </ul> <p>इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 महीने का समय लगता है।</p>
बैंक खाता नहीं होने पर	नया बैंक खाता खोलने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निकटतम CSP/BC प्वाइंट या बैंक शाखा पर जाएं -

मुद्दा	समाधान/हल
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 आवेदक का <u>फोटो</u>,</li> <li>- <u>पहचान का एक प्रमाण</u>: पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या नरेगा जॉब कार्ड</li> <li>- <u>पते का प्रमाण</u> यदि पहचान के प्रमाण में पता शामिल है, तो एक पहचान पर्याप्त है।</li> </ul> <p>क्या पैन कार्ड बैंक खाता खोलने में अनिवार्य है? नया खाता खोलने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी उनका होना मददगार है।</p> <p>क्या आधार कार्ड नया खाता खोलने के लिए अनिवार्य है? नया बैंक खाता खोलने के लिए अब आधार अनिवार्य है। आधार के बिना बैंक खाता खोला जा सकता है लेकिन चूंकि बायोमेट्रिक authentication संभव नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति CSP/BC पॉइंट आदि से पैसे नहीं निकाल पाएंगे।</p> <p>नया बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।</li> <li>2. खाता खोलने के बाद CSP/BC प्वाइंट से एक पासबुक लें।</li> <li>3. खाता खोलने के लिए किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है; केवल न्यूनतम शेष राशि (मानदंडों के अनुसार) बनाए रखी जानी है।</li> <li>4. जीरो बैलेंस खाते CSP/BC प्वाइंट से खोले जा सकते हैं।</li> </ol>
एकल महिला/परित्यक्त महिला होने का प्रमाण नहीं होने पर	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. मुखिया एवं पंचायत सेवक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र : पंचायत मुखिया एवं पंचायत सेवक के पास जाएं और उनसे यह प्रमाणित करने का अनुरोध करें कि आप 'निराश्रित' हैं- यानी 45 वर्ष से ऊपर के एकल महिला या विवाहित होने के बाद परित्यक्त महिला हैं और असहाय हैं।</li> <li>2. पेंशन का लाभ उठाने के लिए पहचान प्रमाण पत्र, बैंक खाते के विवरण और सत्यपान प्रमाण पत्र ब्लॉक में जमा करें।</li> <li>3. कभी-कभी आपसे यह स्व-घोषणा पत्र देने के लिए कहा जा सकता है कि आप दोबारा शादी नहीं करेंगे।</li> </ol>

#### आधार के संबंध में


मुद्दा	समाधान/हल
आधार नहीं होने पर	<p>निचे दिए गये दस्तावेज से साथ प्रजा केंद्र/आधार सेंटर जायें:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पहचान प्रमाण के लिए: पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, सर्विस फोटो id, पेंशनर फोटो id, पेंशन पेमेंट आर्डर, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट id, मनरेगा जॉब कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ट्रांसजेंडर id, 10वीं बोर्ड का मार्कशीट। यदि ये सब भी न हो तो, अत्तेस्तेद फोटो के साथ एक पत्र गज़ेतेद ऑफिसर द्वारा हक्षताक्षर किया हुआ जारी किया जा सकता है।</li> <li>2. पता प्रमाण पत्र: फोन बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल जिसमें पता लिखा हुआ हो और तीन महिने से पुराना न हो; मुनिसिपलिटी टैक्स रसीद, बैंक या पोस्ट ऑफिस सेविंग खाता का स्टेटमेंट, सरकारी ऑफिसर द्वारा हक्षताक्षर किया हुआ मनरेगा जॉब कार्ड, ग्राम पंचायत मुखिया/सांसद/विधायक/ग्रुप ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पते का प्रमाण</li> </ol>

	<p>पत्र)।</p> <p>3. फ़ोन नंबर: अपना या अपने परिवार में से कोई सदस्य का फ़ोन नंबर। यह बहु ज़रूरी है क्योंकि इसी नंबर पर OTP बेझा जायेगा जो नया आधार बनवाने में ज़रूरी होगा। साथ ही साथ अगर मोबाइल नंबर दर्ज नहीं करवाएंगे तोह बाकि अन्य सेवाएँ जैसे बखाता में से निकासी, आधार को बाकि दुसरे दस्तावेज जैसे जॉब कार्ड में लिंक करना, अपना बायोमेट्रिक अपडेट करना, इत्यादि नहीं करवा पाएंगे।</p> <p>5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- जन्म प्रमाण पत्र जिसमें बच्चे के नाम के साथ साथ घर के मुखिया(बच्चे का माता/पिता/गौडियन) का नाम भी दर्ज हो।</li> <li>- घर के मुखिया का अपना आधार की भी जरूरत होगा। उनका बायोमेट्रिक भी दर्ज किया जायेगा। अनाथ बच्चों के लिए यू.आई.डी.ए.आई द्वारा दिया गया फॉर्मेट में एक सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है जिसमें अनाथालयों के संस्थान प्रमुख/अधीक्षक/मैट्रन/वार्डन द्वारा जारी मानक किया जाये।</li> <li>- पहचान को प्रमाण करने के लिए फोटो/id कार्ड / निवास पत्र/ जाति प्रमाण पत्र/ डिसेबिलिटी पत्र इतियादी जिसमें बच्चे का नाम स्पष्ट हो</li> </ul> <p>बच्चों का बायोमेट्रिक 5-7 वर्ष में और एक बार 15-17 वर्ष में निशुल्क अपडेट करवाया जा सकता है अन्यथा शुल्क भरना पड़ेगा</p> <p>सभी विवरण यहाँ दिया गया है - <a href="#">PDF 26_JAN_2023_Aadhaar_List_of_documents.pdf</a></p> <p>नया आधार बनाने के लिए 30 दिन लग जाता है</p>
<p>आधार में उम्र, नाम और पते का मिलन नहीं होने पर</p>	<p>आधार में सुधार करवाने के लिए कराने के लिए सही दस्तावेजों (मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड) के साथ निकटतम प्रजा केंद्र पर जाएं।</p> <p>जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए:</p> <p>यू.आई.डी.ए.आई वेबसाइट के अनुसार, जन्मतिथि को जीवनकाल में केवल एक बार ही अपडेट किया जा सकता है। हालाँकि, यदि कारण सही है, तो 'अपवाद प्रबंधन प्रक्रिया (exception handling process)' के माध्यम से एक से अधिक बार जन्मतिथि को बदला जा सकता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- उम्र अपडेट करने के लिए - अगर हकदार कोई और सरकारी दस्तावेज के आधार पर बदलाव करना चाहते हैं तो स्व-प्रमाणित पत्र और वही दस्तावेज के साथ अपना आवेदन दे सकते हैं। बच्चों स्व-प्रमाणित पत्र में उनके उनके गौडियन भी हस्ताक्षर कर सकते हैं।</li> <li>- उम्र बदलाव करने के बाद भी अगर टाइपिंग एरर के वजह से उम्र अपडेट गलत हुआ है तो हकदार उसी दस्तावेज के आधार पर बदलाव करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।</li> </ul> <p>नाम में सुधार करने के लिए:</p> <p>नाम में सुधार करने के लिए जीवनकाल में केवल दो बार ही अपडेट किया जा सकता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- अगर हकदार टाइपिंग एरर के वजह से अपना नाम में सुधार करवाना चाहता है तो वह दूसरे दस्तावेज के आधार पर कर सकता है। इस बदलाव को परिवर्तन के अवसर के रूप में नहीं देखा जायेगा।</li> <li>- पूर्ण नाम परिवर्तन के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं। हालाँकि, इसका अनुरोध करने वाले व्यक्ति को अन्य सरकारी दस्तावेज के रूप में नाम परिवर्तन कर सकते हैं।</li> </ul> <p>पता अपडेट करने के लिए:</p> <p>ऑफलाइन प्रक्रिया</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- प्रज्ञा केंद्र जाएं और "आधार अपडेट फॉर्म" लेकर उसे भरें।</li> <li>- अपने नया पते का प्रमाण के तौर पर सरकारी दस्तावेज के साथ अपना आधार अपडेट फॉर्म सबमिट करें</li> <li>- एप्लीकेशन का शुल्क जमा करें। अभी रु. 50 लिया जाता है।</li> <li>- अपना फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन करवाएं</li> </ul> <p>ऑनलाइन प्रक्रिया</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- my-Aadhaar पोर्टल में जा कर लॉग इन करें। लॉग इन करते वक़्त रजिस्टर्ड मोबाइल के द्वारा पता बदला जा सकता है</li> </ul>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पोस्ट-रजिस्ट्रेशन के मुद्दे - पेंशन सैंकशन होने के बाद के मुद्दे

## General Observation across schemes



विलोपित पेंशन : पेंशन को रोक दिया जाना

मुद्दा	समाधान/हल
राज्य में ही पलायन किया हो, जिसके वजह से पेंशन रुक गया	<p>जरूरी दस्तावेज:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पेंशनधारक को उन बी.डी.ओ को एक आवेदन [फॉर्मेट] जमा करना होगा जिन क्षेत्र में वह अब स्थानांतरित हुए हैं, जिसमें पते में बदलाव के बारे में बताना होगा, नए निवास का प्रमाण देना होगा और अपनी पेंशन को वापस शुरू करने के लिए अनुरोध करना होगा।</li> </ol>

	<p>2. नए निवास का प्रमाण प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति अपने मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो) पर अपना पता बदलवा सकता है और प्रमाण के तौर पर दे सकते हैं।</p> <p>यदि ऊपर दिए गये दस्तावेज में पता नहीं बदलवाना चाहते-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. तो वह नए पते पर नया राशन कार्ड बनवाना सकते हैं।</li> <li>2. वैकल्पिक रूप से, वे अपने बदले हुए पते के साथ कोई भी सरकारी फोटो पहचान पत्र (किसान कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, ग्राम पंचायत मुखिया/सांसद/विधायक/ग्रुप ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पते का प्रमाण पत्र) प्राप्त कर सकते हैं और फिर उस दस्तावेज का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं।</li> </ol>
<p>कहीं भी पलायन नहीं किया है पर पेंशन रोक दिया गया है पलायन का कारण दे के</p>	<p>पलायन नहीं किये हैं को प्रमाणित करने के लिए</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ज़रूरी दस्तावेज:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. बीडीओ को संबोधित एक आवेदन पत्र <b>[फॉर्मेट]</b> लिखें जिसमें उल्लेख हो कि आपने कभी पलायन नहीं किया है।</li> <li>2. निवास का प्रमाण और पहचान का प्रमाण प्रदान करें - राशन कार्ड / आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र। यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है? मुखिया से संपर्क करें और उनसे एक हस्ताक्षरित दस्तावेज देने का अनुरोध करें जो प्रमाणित करता हो कि आप उस गाँव के निवासी हैं और कभी पलायन नहीं किया है।</li> <li>3. बैंक खाते का विवरण प्रदान करें।</li> </ol> </li> <li>- आवेदन मुखिया को जमा करें (जो इसे बीडीओ को अग्रेषित करेगा) या सीधे बीडीओ/ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर को जमा करें।</li> <li>- प्राप्ति/आवेदन क्रमांक लें।</li> </ul> <p>एक बार जब आवेदन ब्लॉक में पहुंच जाता है और सत्यापित हो जाता है, तो ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर पेंशन वापस शुरू करने के लिए आवेदन को जिले (एडीएसएस) को भेज देगा जो पेंशन को मंजूरी देता है और पेंशन वापस शुरू करते हैं।</p>
<p>कुछ समय के लिए पलायन किये थे पर अब वापस आ गये</p>	<p>पलायन करके वापस आने पर प्रमाणित करने के लिए</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ज़रूरी दस्तावेज:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मुखिया/बीडीओ को अपने पलायन का कारण, वापसी का कारण, पेंशन वापस शुरू करने का अनुरोध बताते हुए एक पत्र <b>[फॉर्मेट]</b> लिखें।</li> <li>2. निवास का प्रमाण और पहचान का प्रमाण प्रदान करें - राशन कार्ड / आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र। यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है? मुखिया से संपर्क करें और उनसे एक हस्ताक्षरित दस्तावेज देने का अनुरोध करें जो प्रमाणित करे कि आप उस गाँव के निवासी हैं, (जो भी कारण पलायन कर गए थे वेह लिखे और अब वापस लौट आए हैं और आप पेंशन के लिए योग्य हैं और वापस पेंशन शुरू करने का अनुरोध करना चाहते हैं।</li> <li>3. बैंक खाते का विवरण प्रदान करें।</li> </ol> </li> <li>- आवेदन मुखिया को जमा करें (जो इसे बी.डी.ओ को फॉरवर्ड करेगा) या सीधे बी.डी.ओ/ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर को जमा करें।</li> <li>- प्राप्ति/आवेदन क्रमांक लें।</li> </ul> <p>एक बार जब आवेदन ब्लॉक में पहुंच जाता है और सत्यापित हो जाता है, तो ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर पेंशन</p>

	वापस शुरू करने के लिए आवेदन को जिले (ADSS) को भेज देगा जो पेंशन को मंजूरी देता है और पेंशन वापस शुरू करते हैं।
राज्य के बहार पलायन किये हैं	पेंशन के लिए दोबारा अप्लाई करें

### गलती से मृत्यु घोषित करने पर

मुद्दा	समाधान/हल
जीवित है पर मृत्यु घोषित कर के पेंशन रोक दिया गया है	<p>जीवित प्रमाणित करने के लिए समाधान -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- जरूरी दस्तावेज: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. बी.डी.ओ को संबोधित एक आवेदन [फॉर्मेट] लिखें जिसमें यह उल्लेख हो कि आपको गलती से मृत घोषित कर दिया गया है।</li> <li>2. साथ में निवास और पहचान का प्रमाण प्रदान करें - राशन कार्ड / आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र। यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है? पंचायत मुखिया से संपर्क करें और उनसे एक हस्ताक्षरित दस्तावेज देने का अनुरोध करें जो प्रमाणित करे कि आप उस गांव के निवासी हैं और जीवित हैं, और आपको गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया है। इस आवेदन को मुखिया और गांव के तीन अन्य गवाहों से सत्यापित कराएं।</li> <li>3. आवेदन के साथ बैंक खाता विवरण (पासबुक/CSP बैंक आईडी) की फोटोकॉपी प्रदान करें।</li> </ol> </li> <li>- जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन पंचायत कर्मचारी/बीडीओ/ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जमा करें</li> <li>- प्राप्ति/आवेदन क्रमांक लें</li> </ul> <p>एक बार जब आवेदन ब्लॉक में पहुंच जाता है और सत्यापित हो जाता है, तो ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर पेंशन वापस शुरू करने का आवेदन को जिले (ए.डी.एस.एस) को भेज देगा जो पेंशन को मंजूरी देता है और पेंशन वापस शुरू करते हैं।</p>

